खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021

drishtiias.com/hindi/printpdf/minerals-concession-fourth-amendment-rules-2021

प्रिलिम्स के लिये:

खनिज रियायत नियम-2016, व्यापार सुगमता, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, आत्मनिर्भर भारत

मेन्स के लिये:

खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का खनन क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **खान मंत्रालय ने खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के अतिरिक्त) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021** को अधिसूचित किया है।

> यह **खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के अलावा) रियायत नियम, 2016 [MCR, 2016]** में **संशोधन** करेगा।

प्रमुख बिंदु

- **संशोधन:**
  - **कैप्टिव पट्टों से बिक्री:**
    - कैप्टिव पट्टों से **उत्पादित 50% खनिजों की बिक्री के तरीके प्रदान** करने के लिये नए नियम जोड़े गए।
    - इस संशोधन से कैप्टिव खानों की खनन क्षमता का अधिक-से-अधिक उपयोग करके **अतिरिक्त खनिजों को बाज़ार में जारी करने का मार्ग प्रशस्त** हुआ है।
      कैप्टिव खदानें वे हैं जिनका खदानों के **स्वामित्व कंपनी** द्वारा विशेष उपयोग हेतु कोयले या खनिज का उत्पादन किया जाता है, जबकि **गैर-कैप्टिव खदानें वे हैं जो ईंधन का उत्पादन और बिक्री** करती हैं।
  - **अधिभार का निपटान (OB):**
    - अधिभार/अपशिष्ट चट्टान/थ्रेशोल्ड मूल्य से नीचे के **खनिज जो खनन या खनिज को लाभकारी बनाने के दौरान उत्पन्न** होते हैं, के निपटान की अनुमति देने के लिये प्रावधान जोड़ा गया।
    - इससे खनिकों को **व्यापार करने में सुगमता** होगी।
  - **खनन पट्टा प्रदान करने के लिये क्षेत्र:**
    खनन पट्टा प्रदान करने के लिये न्यूनतम क्षेत्र 5 हेक्टेयर से संशोधित कर यानी घटाकर 4 हेक्टेयर कर दिया गया है। वैसे क्षेत्र जहाँ खनिज की विशेष उपलब्धता हो वहाँ खनन पट्टा प्रदान करने हेतु न्यूनतम क्षेत्र 2 हेक्टेयर कर दिया गया है।
  - **सभी मामलों हेतु आंशिक समर्पण:**
    - सभी मामलों में खनन पट्टा क्षेत्र के आंशिक समर्पण की अनुमति है।
    - पहले आंशिक समर्पण की अनुमति केवल वन मंज़ूरी न मिलने की स्थिति में ही दी जाती थी।
  - **समग्र लाइसेंस का हस्तांतरण:**
    सभी प्रकार की खदानों के समग्र लाइसेंस या खनन पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिये नियमों में संशोधन किया गया।
- **उद्देश्य:**
  इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में **रोज़गार एवं निवेश में वृद्धि, राज्यों के राजस्व में वृद्धि, खदानों के उत्पादन एवं समयबद्ध संचालन में वृद्धि, खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं नीलामी की गति में वृद्धि** आदि है।

भारत में खनन क्षेत्र:

- **परिचय:**
    - स्टील और एल्युमिनियम के **उत्पादन और रूपांतरण लागत में भारत शुद्ध लाभ** की स्थिति में है। इसकी रणनीतिक स्थिति निर्यात के अवसरों को विकसित करने के साथ-साथ तेज़ी से विकासशील एशियाई बाज़ारों को सक्षम बनाती है।
    - भारत वर्ष 2021 तक दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश** है।
    - भारत 2020 तक दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक** था।
    - भारत की खनिज क्षमता **दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के समान** है। भारत वर्तमान में 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है, लेकिन इस वृहद् खनिज क्षमता के बावजूद भारत का खनन क्षेत्र अभी भी अस्पष्ट है।
    - भारत के खनन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में **केवल 1.75% का योगदान** है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 से 7.5% तक है।
    - **संचालित खानों की कुल संख्या का 90% हिस्सा इन 11 राज्यों** (आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक) में है।
- **खनन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:**
    - भारतीय संविधान की सूची-II (राज्य सूची) के क्रम संख्या-23 में प्रावधान है कि **राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार** है।
    - सूची-I (केंद्रीय सूची) के क्रमांक-54 में प्रावधान है कि **केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार** है।
    - **सभी अपतटीय खनिजों** (भारतीय समुद्री क्षेत्र में स्थित समुद्र या समुद्र तल से निकाले गए खनिज जैसे- प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र) पर **केंद्र सरकार का स्वामित्व** है।
- **संबंधित योजनाएँ:**
    - **राष्ट्रीय खनिज नीति 2019**
    - नीलाम किये गए ग्रीनफील्ड खनिज ब्लॉकों का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने हेतु पहल की जा रही है।
    - खनन क्षेत्र में करों को युक्तिसंगत बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
    - **आत्मनिर्भर भारत** योजना के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और अन्य सुधार लाने की घोषणा की गई है।
    - **ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट।**

स्रोत: पीआईबी